सं0-563

| आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|
| 2 | 3 |

अभिलेख उपस्थापित।

23 बालेश्वर राम पिता स्व0 मानकी राम, निवास स्थान ग्राम-लाखे, थाना-मुफ्फरिल, जिला-हजारीबाग वर्तमान निवास स्थान ग्राम-लाखे, थाना-मुफ्फसिल, पोस्ट-कोर्रा, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-लाखे, थाना नं0-155, खाता संख्या-45 प्लॉट संख्या-175 रकवा 0.08 एकड़ (08 डिसमिल) (आठ डिसमिल) भूमि शारदा देवी पति सरजु राम, निवास स्थान ग्राम-लाखे, थाना-मुफ्फसिल, पोस्ट-कोर्रा, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधित कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-380/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 1740/रा0 दिनांक 20.04.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 900 दिनांक 13.05.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार भूमि का किस्म रैयती है। खतियानी रैयत खेदन दुसाध हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 3.03 एकड़ भूमि है। पंजी-II के पृष्ठ संख्या-40/1 पर शनिचर दुसाध गोड़ायत वगै0 के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत् है। आवेदक के दादा जमाबंदी रैयत हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदक घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकवा 2.58 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/ सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा BLR Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है।

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को पीला रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अनुसूची-14 फारम सं0-563

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।<br><br>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में बालेश्वर राम पिता स्व0 मानकी राम, निवास स्थान ग्राम-लाखे, थाना-मुफस्सिल, जिला-हजारीबाग वर्तमान निवास स्थान ग्राम-लाखे, थाना-मुफस्सिल, पोस्ट-कोर्रा, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-लाखे, थाना नं0-155, खाता संख्या-45 प्लॉट संख्या-175 रकबा 0.08 एकड़ (08 डिसमिल) (आठ डिसमिल) भूमि शारदा देवी पति सरजु राम, निवास स्थान ग्राम-लाखे, थाना-मुफस्सिल, पोस्ट-कोर्रा, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कारवाई समाप्त की जाती है।<br><br>लेखापित एवं संशोधित<br><br>अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग 21/6/23<br><br>अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। 21/6/23 | प्रेषक, |

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.06.24 15:53:31 +05:30
Location: 192.168.0.101